न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल, जिला जालोर।

पीठासीन अधिकारी: मदन सिंह चौधरी,
आर.जे.एस

11 वर्ष से अधिक
अवधि पुराना प्रकरण।

निर्णय दिनांक	–	23.04.2026
फौज. मूल प्र.सं.	–	795/2015(1477/2017)
सी.आई.स. नंबर	–	840/2015
सी.एन.आर. नंबर	-	RJJL06-000635-2015
प्रथम सूचना रि. सं.	–	75/2015
अंतर्गत धारा	–	341, 323, 447, 336/34 भादसं.
पुलिस थाना	–	बागोड़ा

अभियोगी –

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी, भीनमाल।

उपस्थित –

श्रीमान अभियोजन अधिकारी राज्य की ओर से।

ब ना म

अभियुक्तगण –

01. वसीर खां पुत्र खमीश खां, निवासी खोखा, जिला जालोर
02. वली खां पुत्र खमीश खां, निवासी खोखा, जिला जालोर
03. रमजान खां पुत्र अमरे खां, निवासी खोखा, जिला जालोर

उपस्थित –

श्रीमान पृथ्वीसिंह चौहान, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण

– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण –

अपराध की तिथि	27.06.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	02.07.2015
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	28.08.2015
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	11.05.2016
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	14.10.2016
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	15.04.2026
निर्णय की तिथि	23.04.2026

न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीनमाल (जालोर)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल
राज. राज्य बनाम वसीर खां
फौजदारी मूल प्र.सं.: 1477/2017
निर्णय दिनांक: 23.04.2026

–अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची–

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
पीडब्ल्यू 1	शरीफ खां	ताईद एफआईआर
पीडब्ल्यू 2	आलम खां	औपचारिक गवाह
पीडब्ल्यू 3	अयुब खां	मौका मौतबीर
पीडब्ल्यू 4	मियण बानू	औपचारिक गवाह
पीडब्ल्यू 5	रमजान खां	औपचारिक गवाह
पीडब्ल्यू 6	सामत खां	मौका मौतबीर
पीडब्ल्यू 7	जमाल खां	औपचारिक गवाह
पीडब्ल्यू 8	डॉ. कैलाश दान चारण	चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट देना
पीडब्ल्यू 9	जमाल खां	औपचारिक गवाह
पीडब्ल्यू 10	लक्ष्मणराम	रेवेन्यू रेकर्ड देना
पीडब्ल्यू 11	बद्रीदान	तफतीशी हालात
पीडब्ल्यू 12	वली खां	औपचारिक गवाह

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति

–अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची–

क. अभियोजन

क्रम सं.	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1.	लिखित प्रार्थना पत्र	प्रदर्श पी.1
2.	नक्शा मौका	प्रदर्श पी.2
3.	पुलिस बयान सरीफ खां	प्रदर्श पी.3
4.	चोट प्रतिवेदन पत्र सरीफ खां	प्रदर्श पी.4
5.	पुलिस बयान आलम खां	प्रदर्श पी.5
6.	पुलिस बयान मीयण बानु	प्रदर्श पी.6
7.	चोट प्रतिवेदन पत्र मियण बानु	प्रदर्श पी.7
8.	चोट प्रतिवेदन पत्र रमजान खां	प्रदर्श पी.8
9.	पुलिस बयान रमजान खां	प्रदर्श पी.9
10.	पुलिस बयान जमाल खां	प्रदर्श पी.10
11.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श पी.11
12.	चोट प्रतिवेदन पत्र आलम खां	प्रदर्श पी.11
13.	चोट प्रतिवेदन पत्र वली खां	प्रदर्श पी.12
14.	जमाबंदी	प्रदर्श पी.13
15.	भू–नक्शा	प्रदर्श पी.14

न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीनमाल (जालोर)

Authenticated Document

16.	चार्जशीट	प्रदर्श पी.15
17.	पुलिस बयान वली खां	प्रदर्श पी.16

ख. बचाव

क्रम सं.	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या

– निर्णय –

दिनांक 23.04.2026

01. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 02.07.2015 को प्रार्थी सरीफ खां पुत्र अली खां निवासी खोखा ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की –

"मैंने खोखा से राजकोट वली खां पुत्र खमीस खां, निवासी खोखा की गाड़ी 8,000/– रुपये प्रति फेरा के तय किये थे, हमने इनको तीन बार भाड़े लेकर गया था, जिसका भाड़ा 24,000/– रुपये हो रहे थे, तब मैंने उनको 22,500/– रुपये रोकड दे दिये थे, बाकी के रुपये मेरे मांग रहा था। दिनांक 27.06.2015 को इनका रास्ता सतार खां ने बंद करने से मेरे साथ खोखा गांव में करीब 6 बजे शाम को वली खां पुत्र खमीश खां आया व मुझे गाली गलोच कर कहने लगा कि मैं तेरे गाड़ी भाड़ा मांग रहा हूं। मेरे भाड़ा 44,000/– रुपये होते हैं। अभी के अभी मुझे दे नहीं तो मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। तब मैंने कहा कि जो भाड़ा तय किया था, उसका रुपया मैंने तुझे दे दिया है, तू मेरे भाड़ा के 1500/– रुपये मांग रहा है, मैं दे दूंगा। तभी वली खां वहीं मेरे आड़ा फिर कर मेरे साथ धक्का मुक्की व लाठी से मेरे साथ मारपीट करने लगा। तब वहां खड़े रमेश पुत्र मसरू खां, जमाल खां पुत्र अल्ला बसाया, सुजै खां पुत्र अल्ला बसाया, निवासी खोखा ने बीच बचाव कर छुड़ाया वरना मेरे साथ ज्यादा मारपीट करते। मारपीट के दौरान मेरे डावे पैर की पीडी पर चोट लगी है तथा वहां से मैं घर गया तो वली खां पुत्र खमीश खां, हासम खां, नवाब खां, बसीर खां पुत्र खमीश खां, जाकीर खां पुत्र इस्माइल खां, शेरू खां पुत्र इस्माइल खां, हमीद खां पुत्र मुसै खां, सुमार खां पुत्र मुसे खां, आदम खां पुत्र मुसे खां, निजाम खां पुत्र शेरू खां, रमजान खां पुत्र अमरे खां, सदीक खां पुत्र अमरे खां, अमरे खां पुत्र आमद खां, निवासी खोखा व चार और साथ में थे, उन लोगों ने मेरे घर के आकर भी मारपीट की है। मारपीट में वली खां के डावे हाथ की कला पर चोट लगी है व आलम खां के जीवणे हाथ के कुणी पर चोट लगी है। रमजान खां के सिर में पत्थर की चोट लगी है। मीपण बानु के कमर में चोट लगी है तथा सिना झपटी में मेरे जेब से 41,000/– रुपये रोकड थे वो या तो वहीं गिर गये था, फिर वली खां ने ले लिए।"

02. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना बागोडा द्वारा अभियोग संख्या 75/2015 अपराध अन्तर्गत धारा 143, 341, 323, 447, 336 भा.द.स. में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद पूर्ण अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 447, 336/34 भा.द.सं. में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध

न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीनमाल (जालोर)

Authenticated Document

अन्तर्गत धारा 341, 323, 447, 336/34 भा.द.सं. में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 447, 336/34 भा.द.सं. के आरोप मौखिक सुनाए एवं समझाए गए तो अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहों को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। अभियोजन साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्त के बयान तहत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताते हुए झूठा फंसाये जाने के कथन किए हैं। साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

04. बहस अंतिम विद्वान उभय पक्षकारान की सुनी गई। बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है:–

01. आया अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 27.06.2015 को सरहद खोखा पर परिवादी सरीफ खां का रास्ता रोककर सामान्य आशय के अग्रसरण में लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की व उसे उस दिशा में जाने से जिस दिशा में जाने का उसे अधिकार था, रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा उसकी आधिपत्य वाले मकान में अवैध रूप से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया?

02. यदि हां तो उचित दण्डादेश क्या होगा ?

अवधार्य बिन्दु का विनिश्चिय:–

06. अभियोजन के विरूद्ध में व अभियुक्तगण के पक्ष में किया जाता हैं।

विनिश्चिय के कारण:–

07. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में प्रार्थी सरीफ खां द्वारा दिनांक 02.07.2015 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी1 इस आशय की पेश की गई कि उसने खोखा निवासी वली खां की गाड़ी खोखा से राजकोट प्रति फेरा 8,000/– रुपये से तय कर तीन बार लेकर गया, जिसका कुल किराया 24,000/– रुपये बना। किराये पेटे उसने 22,500/– रुपये वली खां को दे दिये थे तथा 1500/– रुपये बाकी थे। दिनांक 27.06.2015 को सतार खान ने इनका रास्ता बंद कर दिया, तब दिनांक 27.06.2015 को शाम के करीब 6 बजे वली खां उसके साथ में आया तथा गाली गलौच करने लगा कि उसकी गाड़ी का कुल किराया 44,000/– रुपये होता है, जो उसे नहीं दिए हैं तो वह प्रार्थी को जान से खत्म कर देगा। तब प्रार्थी ने उसे 1500/– रुपये बाकी होना बताया तो वली खां ने उसके साथ धक्का–मुक्की कर लाठी से मारपीट की, तब वहां खड़े रमेश, जमाल, सुजैखां ने बीच–बचाव कर उसे छुड़ाया। मारपीट से प्रार्थी के दांये पैर की पींडी पर चोट लगी। मारपीट के बाद प्रार्थी वहां से अपने घर चला गया। उसके साथ वली खां, हासम खां, नवाब खां, बसीर खां, जाकिर खां, इस्माइल खां, शेरू खां, हमीद खां, सुमार खां, आदम खां, मिजाक खां, रमजान खां, सरीफ खां, अमरे खां व अन्य 4–5 व्यक्तियों के साथ उसके घर पर आए तथा उसके साथ मारपीट की, जिससे प्रार्थी के दांये हाथ की कलाई पर चोट लगी एवं आलम खां के दांये हाथ की कोहनी पर चोट लगी। रमजान खां के सिर में पत्थर की चोट लगी। छीना–झपटी में प्रार्थी की जेब से 41,000/– रुपये गिर गये, जो वली खां ने ले लिये।

Authenticated Document

न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीनमाल (जालोर)

08. उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पर्चा चाक एफआईआर प्रदर्श पी11 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण वसीर खां, वली खां एवं रमजान खां के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 336, 447 सपठित धारा 34 भा.द.सं. के अपराध प्रमाणित मान आरोप पत्र पेश किया गया।

09. दौराने अनुसंधान फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी2 दिनांक 03.07.2015 को रूबरू मौतबीरान अयुब खां एवं सामत खां के मुर्तिब किया गया, जिसमें प्रार्थी की निशादेही से घटनास्थल दर्शाया गया। प्रदर्श पी2 के अनुसार दोनों पक्षकारों के खेतों में आवागमन हेतु रास्ते के विवाद को लेकर झगड़ा होना बताया गया है। घटनास्थल से घटना के कोई जाहिरा आलामात नजर नहीं आए है, ना ही कोई वस्तु वजह सबूत कब्जा पुलिस द्वारा ली गई है। इसी क्रम में सरीफ खान के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी4, मियण बानु का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी7, आलम खान का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी11, रमजान खान का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी8, वली खान का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी12 अभियोजन पक्ष द्वारा पेश कर प्रदर्शित करवाए गए है। गौरतलब है कि परिवाद में अभियुक्तगण के चोटें आने का उल्लेख है, जिसमें वली खां, आलम खां, रमजान खां तथा मियण बानु के चोटें आने का उल्लेख है। अगर मारपीट में अभियुक्तगण को चोटें आई हैं तो परिवादी पक्ष द्वारा इन चोटों का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं है। अभियुक्त को यह चोंटे आई है तो निश्चित रूप से यह चोंटे परिवादी पक्ष द्वारा कारित की गई है। चूंकि स्वयं परिवादी पक्ष ही अभियुक्त पक्ष के चोटें आने का उल्लेख कर रहा है, इसलिए इन चोंटों के प्रमाणीकरण का कोई प्रयोजन शेष नहीं रह जाता है।

10. अभियोजन साक्ष्य के इसी क्रम में पेश गवाहान में गवाह पीडब्ल्यू 1 सरीफ खां शिकायतकर्ता है, जो पक्षद्रोही रहा है। उसके अलावा गवाह पीडब्ल्यू 2 आलम खां, पीडब्ल्यू 4 मियन बानु, पीडब्ल्यू 5 रमजान खां, पीडब्ल्यू 6 सामत खां, .पीडब्ल्यू 7 जमाल खां, पीडब्लयू 9 जमाल खां, पीडब्ल्यू 12 वली खां पक्षद्रोही रहे हैं।

11. हस्तगत प्रकरण में गवाह पीडब्ल्यू 3, 8, 10, 11 ही प्रभावी गवाहान हैं। जिनमें पीडब्ल्यू 3 नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 का गवाह है, जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में नक्शा मौका उसके समक्ष मुर्तीब किया जाना उल्लेखित किया गया है। लेकिन दौराने जिरह यह स्वीकार करता है कि पुलिस ने प्रदर्श पी–2 में क्या लिखा–पढ़ी की उसे जानकारी नहीं है।

12. इसी प्रकार पीडब्ल्यू 8 चिकित्सक है, जिनके द्वारा प्रदर्श पी–4, 7, 8, 11 एवं 12 की चोंटों की पुष्टि अपने मुख्य परीक्षण में की गई है। दौराने जिरह वह स्वीकार करता है कि उक्त वर्णित चोटें कृषि कार्य करते समय आना संभव है। इस प्रकार की चोटें मोटरसाइकिल या ट्रेक्टर से गिरने पर भी आ सकती है।

13. गवाह पीडब्ल्यू 11 अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही की पुष्टि की गई है। दौरने जिरह वह स्वीकार करता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके समक्ष पेश नहीं हुई थी। पत्रावली उसे अग्रीम तफ्तीश हेतु दिनांक 02.07.2015 को प्राप्त हुई है, उसकी तफ्तीश में घटना एफआईआर में अंकित दिनांक से पांच दिन पुरानी है। उसने एमएलसी हेतु तहरीर दी थी। जो आज पत्रावली में मौजूद नहीं है।

उपरोक्त साक्ष्य के अलावा पत्रावली में अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी प्रकार की साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त समस्त विवेचन से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं–

(i.) अभियोजन पक्ष के सभी महत्वपूर्ण गवाहान मय शिकायतकर्ता एवं मजरूबान पक्षद्रोही रहे हैं तथा उनके द्वारा घटना की कोई पुष्टि नहीं की गई है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीनमाल (जालोर)

(ii.) घटना के चश्मदीद गवाहान, जिनके नाम का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में बतौर रमेश, जमाल खां एवं सुजे खां अंकित हैं, के द्वारा भी घटना की पुष्टि नहीं की गई है।

(iii.) घटनास्थल प्रदर्श पी–2 से घटना से संबंधित कोई आलामात नजर नहीं आए हैं न ही कोई वस्तु वजह सबूत कब्जा पुलिस ली गई है।

(iv.) परिवादी एवं अभियुक्तगण के बीच किसी प्रकार के लेन–देन का तथ्य प्रमाणित नहीं है।

(v.) स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि परिवादी पक्ष स्वयं के बजाय अभियुक्तगण को चोटें आने का उल्लेख कर रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह चोटें किस प्रकार से आई हैं।

(vi.) अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी दौराने अनुसंधान इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिन व्यक्तियों को चोटें आई है तथा परिवादी द्वारा जिन व्यक्तियों को हमलावर होना बताया गया है, उनकी इस प्रकरण में क्या भूमिका रही है।

(vii.) प्रकरण में किसी प्रकार के हथियार आदि की बरामदगी नहीं हुई है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का समग्र रूप से अध्ययन एवं विवेचन करने से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाने पर उन्हें दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–<u>आदेश</u>–

14. परिणामस्वरूप अभियुक्तगण वसीर खां पुत्र खमीश खां, निवासी खोखा, जिला जालोर, वली खां पुत्र खमीश खां, निवासी खोखा, जिला जालोर तथा रमजान खां पुत्र अमरे खां, निवासी खोखा, जिला जालोर को आरोपित अपराध धारा 341, 323, 447, 336/34 भादसं. में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। इसके साथ ही धारा 437 ए के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब करने पर अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पांच हजार रूपये की जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराने के आदेश दिये जाते है।

(मदनसिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर (राज.)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीनमाल (जालोर)

15. निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट भीनमाल (राज.)

(मदनसिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर (राज.)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीनमाल (जालोर)